राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन 2009) की धारा 340 की उपधारा (1) के खण्ड (यN) के द्वारा प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए नगर निगम, अलवर एतद् द्वारा उपविधिया बनाती है। नामतः–

नगर निगम, अलवर विज्ञापन उपविधियां, 2023

1. शीर्षक सीमा एंव प्रभाव :–

(i). यह उपविधियां नगर निगम, अलवर (विज्ञापन) उपविधियां, 2023 कहलायेंगी।

(ii). यह उपविधियां राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।

(iii). यह उपविधियां नगर निगम, अलवर की समस्त सीमा में प्रभावशील होगी।

2. शाब्दिक परिभाषाएं :–

जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार व्यवहृत होंगी :–

1. महापौर से अभिप्राय नगर निगम के महापौर से है और महापौर की अनुपस्थिति में उपमहापौर भी सम्मिलित है।
2. अध्यक्ष से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत नगर निगम की गठित समिति के अध्यक्ष से है।
3. अनुज्ञा पत्र (लाईसेंस) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले या प्रदान किये गये अनुज्ञापत्र से है।
4. अनुज्ञापत्र धारी (लाईसेन्सी) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र (लाईसेन्स) प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है तथा इसमें उसका अभिकर्ता प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक भी सम्मिलित है।
5. आयुक्त से अभिप्रेत नगर निगम अलवर के आयुक्त से है। जिसमें उपायुक्त भी सम्मिलित है।
6. नगर निगम सूचना पटट से अभिप्रेत निगम द्वारा निर्धारित पट्ट से है जो किसी भी प्रकार के सूचना पत्र विज्ञापन, वात विपत्र (होडिग्स) आदि लगाने अथवा चिपकाने के लिये निगम द्वारा निश्चित किया गया है।
7. निगम से अभिप्रेत नगर निगम, अलवर से है।
8. ''विज्ञापन'' से तात्पर्य ऐसे पट्ट या सूचना पट्ट, प्लेकार्ड, हस्त विपत्र, रेखा चित्र, नाम पट्ट, विद्युत चालित विज्ञापन, बैनर, प्रतीक चिन्ह (ऐम्बलम), वालपेटिंग, चल वाहनों पर विज्ञापन व होर्डिंग्स आदि से है जो किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकान/व्यवसायिक संस्थान, भूमि, दीवार या आकाश, चल वाहनों/वस्तुओं पर प्रदर्शित हो तथा जो किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त हो जो किसी फर्म/एजेन्सी/व्यक्ति/ संस्था/उत्पाद आदि का नाम व विज्ञापन प्रदर्शित करें।
9. परिष्कृत क्षेत्र (सोफिस्टीकेटेड एरिया) से अभिप्रेत ऐसे क्षेत्र से है जो लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी द्वारा विज्ञापन समिति की राय से निर्धारित किया जावे।
10. विज्ञापन समिति से अभिप्रेत उस समिति से है जिसका गठन कार्य हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 103 के तहत निर्वाचित बोर्ड द्वारा किया जावेगा एवं एतदर्थ अधिनियम की शक्तियों का प्रत्यायोजन होगा।
11. खतरनाक विज्ञापन प्रदर्श से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रदर्श से है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो परन्तु कोई विज्ञापन महज दृश्य मात्र होने से खतरनाक नही होगा। परन्तु कौनसा विज्ञापन खतरनाक माना जावे या खतरनाक नही माना जावे इस बारे में निगम का निर्णय अन्तिम होगा।
12. लघु विज्ञापन पट्ट से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पट्ट से है जो 4 फिट X 20 फिट से अधिक ना हो।

13. विज्ञापन समीक्षा समिति से अभिप्राय ऐसी समिति से है जो आगे इन उपविधियो मे अंकित की गई है।
14. विज्ञापन शुल्क से तात्पर्य नगर निगम अलवर द्वारा विज्ञापन प्रदर्श हेतु लगाए गए शुल्क से है।
15. निधारित आवेदन पत्र से तात्पर्य ऐसे आवेदन पत्र से है जिसमें विज्ञापनकर्ता को अपना आवेदन/नवीनीकरण हेतु आवेदन नगर निगम को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. अस्थाई विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो कि सीमित अवधि हेतु आम रास्तों, निर्माधीन भवनों, किसी त्यौहार, समारोह, प्रदर्शनी, राजनैतिक सभा, विशिष्ठ अतिथियों के स्वागत के संदर्भ में दरवाजों, पोल फ्लेग, होर्डिंग्स (अस्थाई), मोबाइल विज्ञापन, सर्विस/ डिलेवरी वैन के माध्यम से प्रदर्श करने हेतु उपयोग में लाए जाते है।
17. पंजीकृत एजेंसी से तात्पर्य ऐसी एजेंसी से है जो नगर निगम अलवर की सीमा में निजी भूमि/भवन या सरकारी भूमि/भवन पर विज्ञापन प्रदर्श करती है एवं इस प्रयोजनार्थ नगर निगम अलवर द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरान्त नगर निगम अलवर से अनुज्ञा प्राप्त है।
18. दिशा सूचक बोर्ड से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो निजी/व्यावसायिक प्रतिष्ठान से संबंधित हो एवं अपने कार्यालय की स्थिति को निर्देशित करता हो।
19. विलम्बित (Abandoned) नवीनीकरण शुल्क से तात्पर्य ऐसी फीस लगाने से है जिसमें आवेदक द्वारा विज्ञापन पट्ट का नवीनीकरण का आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के पश्चात् लाईसेंस ऑथोरिटी को प्रस्तुत किया गया हो।
20. इलेट्रोनिक डिस्प्ले से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जिसका संचालन विद्युत, इलेक्ट्रोनिक उपकरण निओन साइन, ग्लोसाइन एल.ई.डी./एल.सी.डी. इत्यादि के माध्यम से किया जाता है।
21. विविध विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापनों से है जिनका चित्रण विज्ञापन पट्ट के अंदर विद्युत बल्ब लगाकर रोशन किए जावें या इस तरह के विज्ञापन जोकि बहुकोणों से दर्शनीय हो एवं जिनका पठन सूर्य अस्त के पश्चात् भी हो सके जैसे ट्राइविजन एडवरटाइजमेंट (ट्राइएड). बैकलिट एडवरटाइजमेंट, इल्यूमिनिटेड ग्लोसाइन/न्योनसाइन इत्यादि।
22. स्कोलर डिस्प्ले विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पट्टों से है जोकि इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से चलित होते है एवं निर्धारित स्थान पर फिक्स किए जाकर स्कोलर डिस्प्ले द्वारा विभिन्न विज्ञापनों की प्रदर्श करते है।
23. यूनीपोल पर विज्ञापन प्रदर्श से तात्पर्य ऐसे होर्डिंग स्ट्रक्चर से है जोकि एक से अधिक आयरन एंगिल से तैयार नहीं किया जाकर एक ही स्टील पाईप पर आधार तैयार किया जाकर विज्ञापन प्रदर्श किया जाता है।
24. फुट ओवर ब्रिज विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो पदयात्रियों हेतु फुट ओवर बिज एवं अण्डरग्राउण्ड मार्ग पर प्रदर्श किए जावे ।
25. गेन्ट्री विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो सड़क के ऊपर खम्भों के सहारे सड़क के आर–पार (एक्रोस दी रोड) यातायात को दृश्य होते हुए प्रदर्श किए जाते हैं।
26. अनाधिकृत विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे प्रदर्श विज्ञापनों से है जिन्हें गत वर्षों में लाईसेंस ऑथोरिटी द्वारा लाईसेंस दिया गया था मगर किन्ही कारणवश समय पर लाईसेंस का नवीनीकरण नही करवाया जाकर वर्तमान में भी विज्ञापन प्रदर्श किया जा रहा है एवं बिना सक्षम स्वीकृति के विज्ञापन प्रदर्श किये जा रहे है अथवा ऐसे विज्ञापन है जो बिना सक्षम स्वीकृति के प्रदर्श किये जा रहे हैं।
27. स्वनिर्धारण योजना ''एसएएस (एड)'' से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन जोकि राजकीय भूमि से पृथक व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर व्यापारिक उदेश्यों की पूर्ति के लिए लगाए जाते है। निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क जमा करवाते हुए स्वनिर्धारण योजना एवं नियमों के अंतर्गत प्रदर्श करने हेतु अनुमत होंगे।

28. बस शैल्टर्स से तात्पर्य बस में परिवहन हेतु यात्रियों के लिए ऐसे स्थान से है जहां पर यात्री बस के इंतजार के लिए एकत्र होते हैं बस शैल्टर्स का साइज निगम द्वारा निर्धारित साइज का होगा। विज्ञापन नगर निगम अलवर द्वारा अनुमत किए गए डिजाईन एवं माप के अनुसार होंगे।
29. कियोस्क से तात्पर्य बिजली के खम्भों पर लगने वाले विज्ञापन पट्टों से है। विज्ञापन पट्टों का आकार नगर निगम, अलवर द्वारा तय किए अनुसार होगा।
30. आकाशीय बैलून से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो जमीनी सतह से ऊपर आकाश में गुब्बारे अर्थात् गैस बैलून पर प्रदर्श किए जायें।
31. मार्गों के सौन्दर्यीकरण से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन, जो रोड सौन्दर्यीकरण के अंतर्गत रोड़ डिवाईडर, सर्किल, तिराहे, फुटपाथ पर रैलिंग के सहारे, ट्री गार्ड पर या नियमों के अधीन स्वीकृत डिजाईनों द्वारा प्रदर्श हो ।
32. पुलिस कियोस्क / बूथ पर विज्ञापन से तात्पर्य है कि यातायात कन्ट्रोल एवं यातायात से संबंधित निर्देश देने हेतु स्थापित कियोस्क / बूथ / छतरियों आदि पर किए गए विज्ञापन नगर निगम, अलवर से लाईसेंस एवं विज्ञापन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् ही विज्ञापन प्रदर्श किए जा सकेंगे।
33. जन सुविधाऐं हेतु निर्मित सुविधा स्थलों पर विज्ञापन से तात्पर्य है कि ऐसे स्थान जो जनसुविधा हेतु निर्मित किए गए है जैसे ट्रांसमिशन टॉवर (मोबाइल फोन कंपनीज), सुलभ शौचालय, डेयरी बूथ, टेलीफोन बूथ, कम्प्यूटर / इंटरनेट यूथ, बेंच, ट्री गार्ड, कचरापात्र, पार्किंग / यातायात बेरिकेट्स इत्यादि पर नगर निगम अलवर में निर्धारित विज्ञापन शुल्क जमा कराने एवं लाईसेंस प्राप्त करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रदर्श किए जा सकेंगे।
34. शोकेस (विण्डो) विज्ञापन से तात्पर्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानो पर निर्मित शोकेस (विण्डो) में रखी विभिन्न वस्तुओं से है जिनसे विज्ञापन का आभास होता है जैसेः– शोकेस में रखे खिलोने, ग्रीटींग कार्डस, गिफ्ट आईटमस सबंधित प्रतिष्ठान में विक्रय किए जाने वाली वस्तुऐं इत्यादि जो सार्वजनिक मार्ग से प्रदर्श होती हो।
35. प्रदर्शनी स्थल से तात्पर्य ऐसे स्थल से है जहां विभिन्न प्रकार के सामानों का एक निश्चित स्थल पर प्रदर्शन / आयोजन किया जाता है।
36. **''निर्दिष्ट स्थान''** से तात्पर्य यह होगा जो निगम द्वारा विज्ञापन प्रदर्श हेतु स्वीकृत किया जावेगा।
37. जो शब्द यहां परिभाषित नहीं किये गये है उनके सम्बन्ध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 में दी गई परिभाषाएं लागू होगी ।

3. निषेद्ध :–

1. निगम की सीमा मे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन किसी भवन, पुल, आकाश मार्ग मय फुटपाथ, पेड, नगर प्राचीर, नगरद्वार, आकाश, बिजली या टेलीफोन के खम्बो चल–अचल वाहना / वस्तुओं पर अथवा किसी भी खुले स्थान पर बिना अनुज्ञापत्र के नही लगायेगा और न ही चिपकावेगा / चित्रित / प्रदर्शित नही करेगा।
2. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के किसी भवन, पुल, मार्ग, नगर प्राचीर या नगरद्वार, बिजली व टेलीफोन के खम्भे, चलवाहन, डेयरी यूथ कियोस्क एवं शुलभ शौचालय, बस सेल्टर्स, रोड डिवाईडर पर नही लिखेगा और ना ही चित्रित करेगा तथा न ही अन्य किसी प्रकार की तस्वीरों द्वारा ऐसे संकेत प्रदर्शित करेगा कि जिनको कोई साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति विज्ञापन होने का ख्याल करे। उपरोक्त कृत्य विज्ञापन प्रदर्श है या नही इसका निर्णय लाईसेन्स ऑथोरटी द्वारा किया जावेगा।
3. कोई भी व्यक्ति अथवा भवन व भूमि स्वामी निजी भवनो के ऐसे स्थानों पर जो किसी सार्वजनिक मार्ग से दिखाई देते है अथवा किसी आम रास्ते से दृश्यित होते हो किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना

अनुज्ञापत्र के न चिपकायेगा न चिपकाने की स्वीकृति देगा, न लिखेगा न लिखने को स्वीकृति देगा, न लटकायेगा और न लटकाने की स्वीकृति देगा, न चित्रित करेगा और न चित्रित करने की स्वीकृति देगा। अर्थात व्यवसायिक प्रतिष्ठान दुकान/व्यवसायिक संस्थान के अलावा निजी भवनो पर विज्ञापन करने हेतु नियम 12 (3) के तहत अनुज्ञा लेनी होगी।

4. किसी भी प्रकार का लिखावट युक्त विज्ञापन (wall painting) एवं सूचना निजी/सरकारी भवनों/प्राचीरों /दरवाजों/ऐतिहासिक महत्व के स्मारक/सार्वजनिक पुल की दीवारों पर चित्रित/प्रदर्श करने की अनुमति नहीं होगी।

4. अनुज्ञापत्र प्राप्ति की प्रणाली :–

1. सार्वजनिक स्थलों के निर्दिष्ट स्थानों पर यूनिपोल, बैकलिट टावर, विडियोबॉल, ओवरहेड साइनेज (गैन्ट्री), बस शैल्टर्स, फुट ब्रिज, टोयलेट, हाई मास्क लाईट, पुलिस छत्री, टेलीफोन बूथ, डस्टबीन, खम्भों पर लगने वाले कियोस्क, लघु विज्ञापन पट्ट, बैनर एवं पोस्टर्स पुलियाओं पर फ्लॉवर पॉट, डिवाईडर/फुटपाथ पर ट्री गार्ड लगाने के चयनित स्थान एवं समय–समय पर विज्ञापन प्रदर्श करने से सम्बन्धित आने वाली तकनीकी को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा उपबंधित रीति से अन्य प्रकार से विज्ञापन लाईसेंसी द्वारा किया जा सकता है, अनुमत किए गए विज्ञापनों के आकार–प्रकार एवं साइज का निर्णय नगर निगम द्वारा गठित विज्ञापन समिति द्वारा किया जाएगा। जिसका अनुमति पत्र खुली नीलामी के आधार पर निर्णित किये जायेंगे, परन्तु यदि विज्ञापन समिति उचित समझे तो इन उपविधियों के अनुरूप मौजूदा विज्ञापन पट्टों का नवीनीकरण विज्ञापन समिति के अनुमोदन से किया जा सकता है। यह नवीनीकरण गत वर्ष के शुल्क की राशि से 15 प्रतिशत बढाई जाकर किया जायेगा। लेकिन तीन वर्ष में एक बार नीलामी आवश्यक होगी। नगर निगम, अलवर द्वारा अलवर नगर के सौंदर्यकरण को ध्यान में रखते हुए किन्ही विशेष सड़कों/मार्गों/रास्तों/चौराहो/दोराहो/तिराहों के लिए बीओटी बेसिस पर चयन किया जाकर पूर्ण मार्ग को नीलामी द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन करने हेतु दिया जा सकेगा। विज्ञापन का आकार–प्रकार साईज, ऊंचाई इत्यादि का निर्धारण नगर निगम, अलवर विज्ञापन समिति द्वारा किया जायेगा।
2. रोड डिवाईडरों, बस सेल्टरों, शुलभ–शौचालयो, डेयरी बूथों, फिल्म पोस्टरों, ई–कियोस्क, बैनर पट्ट/छोटे विज्ञापन पट्ट/विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग्स) आदि पर विज्ञापन प्रदर्श लाईसेन्स खुली नीलामी/बीओटी आधार पर किया जा सकेगा। जिनकी शर्तों का निर्माण विज्ञापन समिति द्वारा किया जावेगा।
3. विधुत चलित/इलेक्ट्रानिक विज्ञापन प्रदर्श हेतु निर्धारित स्थानों पर खुली नीलामी के द्वारा दिये जायेगें।
4. यदि आवेदन पत्र नगर निगम सूचना पट्ट पर चिपकाने के लिये प्रस्तुत हुआ है तो आवेदक उतनी ही प्रतियां विज्ञापनो के साथ में प्रस्तुत करेगा जितनी कि वह चिपकाना चाहता है और आवेदन पत्र मे उन सब नगर निगम सूचना पट्टो का विवरण देगा जिन पर चिपकाने का वह इच्छुक है लेकिन ऐसी सूचनाये अथवा विज्ञापन पत्र 60X80 सेटीमीटर से अधिक बड़े नही होगे ऐसे विज्ञापन पत्र की शुल्क फीस प्रतिदिन 10 रूपये 60X80 सेन्टीमीटर हिसाब से होगी। विज्ञापन प्रदर्श अवधि 15 दिवस से अधिक नहीं होगी।
5. उपविधियों के अन्तर्गत :–

1. इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ आयुक्त/उपायुक्त अनुज्ञापत्र प्राधिकारी (लाईसेन्सिंग आथेरिटी) होगे।
2. एक विज्ञापन समीक्षा समिति होगी जिनके अध्यक्ष महापौर होगे एवं निम्नांकित सदस्य होगे जिसकी छह माह में एक बार बैठक अवश्य बुलानी होगीः–

I. उपमहापौर, नगर निगम अलवर।

II. समिति के अध्यक्ष (जिन्हें नगर निगम द्वारा धारा 55 मे विज्ञापन प्रदर्श से सम्बन्धित प्रत्योजित किये हो)।

III. आयुक्त / अति. आयुक्त नगर निगम अलवर जो सदस्य सचिव होगे।

IV. अधिक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम अलवर।

V. वरिष्ठतम नगर नियोजक, नगर निगम अलवर।

VI. पुलिस अधीक्षक यातायात / उपाधीक्षक यातायात अथवा उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी।

VII. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अलवर।

VIII. अन्य दो व्यक्ति जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिये नगर निगम द्वारा मनोनीत किये जावे तथा जिन्हें समय–समय पर निगम द्वारा परिवर्तित किये जा सकेंगे।

5. इन उपविधियों की उपविधि 4 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र आयुक्त / उपायुक्त द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा यदि :–

1. आवेदन–पत्र मे उपविधियों में उपविधि संख्या 4 की शर्तों की पूर्ति नहीं की गई है।
2. उसके दृष्टिकोण से विज्ञापन अनुचित या अवैधानिक है अथवा अशिष्ट या अश्लील है या महिला विरूपण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है या नागरिको का लिए क्लेशकर है अथवा उनका प्रदर्शन उसकी दृष्टि में किसी भी अन्य प्रकार से अवांछनीय है या जिनमे अश्लील अथवा नग्न अथवा नशे के चित्र या संकेत लिखित रूप में प्रदर्शित किये गये है।
3. विज्ञापन से जन शांति भंग होने का अन्देशा हो या सार्वजनिक हित में अथवा जन संगठन मे बाधक हो।
4. विज्ञापन इन उपविधियों में निर्दिष्ट प्रावधानों के विपरीत है।

6. आयुक्त / उपायुक्त को अधिकार होगा कि यह अनुज्ञाधारी को बिना पूर्व सूचना दिवे ऐसे विज्ञापन को चाहे ये मुद्रित हो या लिखित हो या चित्रित हो या विज्ञापित स्थानो पर लगाये गये हो जिनमे शान्ति भंग होने का अंदेशा हो या अन्य प्रकार से सार्वजनिक हित या संगठन में बाधक हो या उपविधि 5 के अन्तर्गत आते हो या बिना स्वीकृति लगाये गये हों, यदि पट्ट निजी है और गन्दी व भद्दी हालत मे रखा जाता है तो हटा सकेंगे अथवा स्वच्छ करा सकेंगे लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी द्वारा किसी उक्त भाग के अधीन हटाये गये विज्ञापन की क्षति का मुआवजा और हटाने का खर्चा जो भी यह निश्चित करेंगे उस व्यक्ति से वसूल किया जावेगा, जिसने व जिसका विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है।

7. प्रत्येक विज्ञापन प्रदर्शन पट्ट आदि सामान्यतया उसी फर्म और व्यक्ति का माना जायेगा जिनका कि उस पर नाम अंकित है जब तक कि सक्षम न्यायाधीकरण द्वारा विपरीत प्रमाणित न हो जाये।

8. इन उप विधियों के अन्तर्गत प्रदान किये गये कोई भी अनुमति पत्र या अनुज्ञा पत्र अहस्तान्तरणीय होगे। विज्ञापन प्रदर्श पर फर्म या व्यक्ति का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।

9. इन उपविधियों के अनुसार जो भी विज्ञापन अथवा चित्रित या लिखित विज्ञापन, सुचनाएं आदि हटाई या पोतकर स्वच्छ की जायेगी उनके लिए निगम किसी प्रकार की क्षति की उत्तरदायी नहीं होगी और न यह शुल्क ही लौटाई जायेगी जो स्वीकृति के लिए जमा की गई है एवं विज्ञापन के गिरने हटाने व प्राकृतिक आपदा के कारण हुई आम जन / धन हानि की समस्त जिम्मेदारी विज्ञापन कर्ता की मानी जावेगी। इसके लिये निगम उत्तरदायी नही होगा।

10. नगर निगम द्वारा निर्देशित स्थान अथवा किसी भी संस्थागत भवन/व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकान/व्यावसायिक संस्थान जो कि सार्वजनिक मार्ग पर हो विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे बशर्ते कि स्वच्छ वायु एवं प्रकाश पर कुप्रभाव नही पड़े।

11. नगर निगम सुचना पट्ट पर विज्ञापन चिपकाने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आयुक्त का कर्तव्य होगा किः–

(1) यदि वह विज्ञापन को अनुमोदित करना है तो आवेदक द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन किया जा सकेगा और प्रदर्शन किये जाने वाले विज्ञापन को अनुमोदित करेगा। इसके लिए अनुमति जारी करेगा।

(2) यदि यह विज्ञापन आदि को अस्वीकार कर देता है तो लिखित में कारण बताते हुए उसकी प्रतियां वापिस आवेदक को लौटा देगा।

(3) यदि लौटाई जाने वालो सूचनाओं की या विज्ञापनों की शुल्क जमा हो चुकी है तो यह भी वापस लौटा दी जावेगी।

12. उपविधियों के अन्तर्गत :–

(1) प्रत्येक विज्ञापन प्रदर्श हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदक द्वारा अलग–अलग प्रार्थना पत्र मय निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत आवेदक द्वारा एक से अधिक विज्ञापन प्रदर्श हेतु इकजाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जा सकेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान का स्वामी अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर जो सार्वजनिक मार्ग से दिखाई दे अथवा किसी आम रास्ते से दृश्यित होती हो किसी प्रकार का लघु विज्ञापन पट्ट (ग्लोसाईन, नीओन साईन, विज्ञापन पट्ट, इलेक्ट्रोनिक विज्ञापन, फ्लेक्स इत्यादि) लगाना चाहेगा तो आवेदन पत्र आयुक्त/उपायुक्त अर्थात लाईसेंसिंग ऑथोरिटी को प्रस्तुत करेगा जिसे निम्नानुसार शुल्क देय होगाः–

	स्वयं का विज्ञापन		**स्वयं के विज्ञापन को छोड़कर अन्य**	
विज्ञापन के प्रकार	मुख्य मार्ग	अन्य मार्ग	मुख्य मार्ग	अन्य मार्ग
फलेक्स/बैनर	100/– रु. प्रति वर्ग फीट प्रतिवर्ष	60/– रु. प्रति वर्ग फीट प्रतिवर्ष	120/– रु. प्रति वर्ग फीट प्रतिवर्ष	80/– रु. प्रति वर्ग फीट प्रति वर्ष
ग्लोसाईन, नीओन साइर्न, विज्ञापन पट्ट, इलेक्ट्रोनिक विज्ञापन	120/– रु. प्रति वर्ग फीट प्रतिवर्ष	80/– रु. प्रति वर्ग फीट प्रतिवर्ष	200/– रु प्रति वर्ग फीट प्रतिवर्ष	160/– रु. प्रति वर्ग फीट प्रतिवर्ष
एल.ई.डी. विज्ञापन	निकटतम यूनिपोल की नीलामी राशि की आनुपातिक राशि का 60 प्रतिशत			

विज्ञापन शुल्क जमा कराने पर अनुज्ञा पत्र जारी किया जा सकेगा।

(3) निजी भूमि (जमीन) में यूनिपोल लगाने की अनुमति दी जा सकेगी (भवन पर नहीं) यूनिपोल की साईज निगम द्वारा निर्धारित साईज/डिजाईन का होगा। इस हेतु शुल्क पास ही नीलाम किये गये यूनिपोल राशि का 40 प्रतिशत या 100 प्रति वर्गफीट जो भी अधिक हो देय होगा। परन्तु यूनिपोल

की साईज 10 फीट गुणा 20 फीट से अधिक होने पर समीप नीलामी में गई यूनिपोल की राशि का 40 प्रतिशत आनुपातिक (वर्गफीट) शुल्क देय होगा।

(4) लघु विज्ञापन पट्ट की अधिकतम चौडाई 4 फीट एवं लम्बाई 20 फीट से अधिक नहीं होगी अर्थात लघु विज्ञापन पट्ट व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर समानान्तर लगाने होंगे, लम्बवत नहीं लगाए जा सके।

(5) नगर निगम द्वारा फर्म/व्यक्ति/विज्ञापन एजेन्सी को स्ट्रकचर होर्डिंग की अनुमति इसी शर्त पर दी जा सकेगी भवन पर लगाये जाने वाला स्ट्रेक्चर लाईट वेट का रहेगा भवन व स्ट्रक्चर की सुरक्षा की गारंटी सम्बंधित पक्षकर को देनी होगी। इस हेतु पक्षकार को अन्डरटेकिंग देनी होगी नुकसान होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी एवं मुआवजा देने की जिम्मेदारी पक्षकार स्वयं की होगी तथा फर्म/व्यक्ति/विज्ञापन एजेन्सी द्वारा सक्षम व्यक्ति से स्ट्रकचर होर्डिंग का स्थायित्व प्रमाण पत्र (Stablity Certificate) तथा भवन का सुरक्षा (Safety) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों का सत्यापन नगर निगम की तकनीकी अधिकारियो द्वारा किया जावेगा। सुरक्षा की दृष्टि से सही सत्यापन होने पर नियम 12(2) में निर्धारित शुल्क लेकर अनुमति दी जा सकेगी।

(6) व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर केवल मंजिल दर मंजिल ही लघु विज्ञापन प्रदर्श हो सकेंगे। वेन्टीलेसन (दरवाजे खिड़की, रोशनदान इत्यादि) खुले रखने होंगे अर्थात वेन्टीलेसन के आगे लघु विज्ञापन पट्ट प्रदर्श कर अवद्ध नहीं किए जा सकेंगे। बहुमंजिले व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिनमें विज्ञापन प्रदर्श हेतु विशेष स्थान निर्माण के दौरान छोड़े गये है, उन स्थानों पर नगर निगम की पूर्व स्वीकृति से विज्ञापन प्रदर्श किये जा सकेंगे। ऐसे समस्त प्रदर्श विज्ञापनों का शुल्क विज्ञापन नियम 12(2) के अनुसार देय होगा।

(7) अनुमति पत्र की अधिकतम अवधि एक वर्ष की रहेगी जो कि वित्तीय वर्ष (अप्रेल से मार्च) के आधार पर मानी जायेगी अनुमति की न्यूनतम सीमा वित्तीय वर्ष की ही होगी।

13. कोई भी संस्था, विभाग, रेलवे, परिवहन विभाग, केन्द्रीय/राजकीय सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/संस्थाएं अपने भवन की छत को छोड़ते हुए नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्वयं की भूमि पर नगर निगम की स्वीकृति से अपने विभाग से संबंधित सूचनाएँ/विज्ञापन प्रदर्श कर सकेंगे जिसका आकार–प्रकार एवं डिजाइन भी नगर निगम से स्वीकृत करवाना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा बी.ओ.टी. एवं अन्य ऐसी पद्धति से कराया गया किसी भी प्रकार का कार्य जिस पर विज्ञापन प्रदर्श हो नगर निगम की एन.ओ.सी. प्राप्त किये बिना नहीं करायेगा। बी.ओ.टी. पर कराये जा रहे कार्य पर होने वाले विज्ञापन पर नियम 12(2) अनुसार विज्ञापन शुल्क देय होगा।

14. (1) चल वाहनों पर विज्ञापन शुल्क निम्नानुसार देय होगा–

(क) ऐसे वाहन जो वस्तु के उत्पादन द्वारा वस्तु के आयात–निर्यात में काम आते है उन पर लिखे गए विज्ञापन की दर 100/– प्रति वर्ग फीट प्रति माह होगी।

(ख) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहन एवं इससे अनुबंधित वाहन/निजी सवारी बसें/टैम्पों (अलवर नगर निगम सीमा मे संचालित वाहन) आदि पर लिखे गए विज्ञापन की दर 100/– रु. प्रतिवर्ग फीट प्रति माह होगी।

(ग) ऐसे वाहन जो विज्ञापन प्रदर्श हेतु ही निर्मित किए गए हैं, ऐसे वाहनो पर प्रदर्श विज्ञापन की दर 500/– रु. प्रति वर्ग फीट प्रति माह होगी।

(घ) ऐसे वाहन/पशु/पशु वाहन जो उत्पाद को विक्रय की दृष्टि से रोड शो के उपयोग में आते है उनका देय शुल्क निम्नानुसार होगा :–

अनुमत दिवस	दरें	साईज
7 दिवस तक	50/– रू0	प्रति वर्ग फीट

15 दिवस तक	100/–रू0	प्रति वर्ग फीट
30 दिवस तक	200/–रू0	प्रति वर्ग फीट
31 दिवस से 90 दिवस तक	300/–रू0	प्रति वर्ग फीट
91 दिवस से 180 दिवस तक	400/–रू0	प्रति वर्ग फीट
180 दिवस से एक वर्ष तक	500/–रू	प्रति वर्ग फीट

उपरोक्त दरें वित्तीय वर्ष (अप्रेल–मार्च) के लिए लागू होगी। अनुमति पत्र की अवधि न्यूनतम सीमा वित्तीय वर्ष की ही होगी।

बिना अनुमति प्राप्त किये वाहन पर विज्ञापन प्रदर्शन करने पर वाहन को निगम द्वारा जब्त करने का अधिकार होगा।

14 (2) अन्य

(अ) आकाश में गैस बैलून द्वारा प्रदर्श विज्ञापनों का शुल्क 100/– रू. प्रति वर्ग फीट देय होगा। लाईसेंस अवधि की न्यूनतम सीमा वित्तीय वर्ष की ही होगी।

(ब) निगम द्वारा बैनर्स/फिल्मी पोस्टर्स/पोस्टर्स के लिए स्थान चयनित किए जाएगें। निगम द्वारा चयनित स्थानों पर विज्ञापन प्रदर्श हेतु नीलामी की जावेगी।

(स) गैर व्यवसायिक जैसे धार्मिक, सामाजिक, सार्वजनिक, राजनैतिक सूचनाएं नगर निगम, अलवर की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लगाई जा सकेगी।

(द) नगर निगम, अलवर क्षेत्र में स्थित विभिन्न कंपनियों के पैट्रोल पम्पों पर नगर निगम द्वारा निर्धारित डिजाईन, साईज, आकार–प्रकार के अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञापन की प्रदर्श किये जा सकेंगे जिनकी दर 100/– प्रति वर्गफिट प्रति वर्ष होगी विज्ञापन करने से पूर्व निगम से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।

(य) दीपावली, ईद, क्रिसमस, तीज गणगौर, राजस्थान समारोह, मत्स्य महोत्सव आदि त्यौहारों पर बाजारों में विशेष सजावट पर व्यापार मण्डलों/संस्थाओं/व्यक्ति विशेष द्वारा सार्वजनिक मार्गो/रास्तों पर सामूहिक सजावट के दौरान किये जाने वाले विज्ञापन निःशुल्क होंगे जिनकी अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ही विज्ञापन करा सकेगा। सजावट विज्ञापन अवधि 7 दिवस से अधिक नहीं होगी।

(र) शासकीय/अर्द्धशासकीय उपक्रम व विभागों इत्यादि को भी उक्त उपविधियों की अनुपालना करनी होगी।

उपरोक्त वर्णित दरों में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि की जा जावेगी। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

15. प्रतिबन्धित –

1. कोई भी विज्ञापन इस प्रकार प्रदर्शित नहीं किया जायेगा जिससे वाण्ज्यि संस्थान के ऊपर कंगूरो कोई विकृति हो अथवा ये आच्छादित हो जाये ।
2. कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान की छत की मुंडेर पर अनुमत नहीं किया जायेगा वाणिज्यक संस्थान अपना नाम पट्ट साईज 2X20 वर्ग फीट तक लगा सकेगा एवं इसमें किसी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्श नहीं करेगा।
3. कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान के आगे फुटपाथ अथवा सड़क की ओर झुका हुआ अनुमत नहीं किया जावेगा।

4. कोई भी विधुत चालित विज्ञापन मुख्य सड़क के चौराहों के केन्द्र से किसी ऊंचे भवन के सिर पर 40 फीट से कम दूरी पर नही लगाया जावेगा।
5. विज्ञापन होर्डिग्स किसी दोराहे, तिराहे या चौराहे में रुकावट करते हुए अनुज्ञापित नहीं किया जा सकेगा।
6. कोई भी विज्ञापन किसी यातायात नियमों के अन्तर्गत प्रदर्शित चिन्ह या पट्ट में चिन्हो के अंकित रंग या नाम से पृथक होगा। विज्ञापन द्वारा रूकावट नहीं डाली जावेगी।
7. कोई भी विज्ञापन प्रदर्श जो यातायात के सुगम संचालन में बाधक हो, खतरनाक (हर्जाडिएस) हो अनुमत नहीं किया जावेगा लेकिन विज्ञापन प्रदर्श सहज दृश्य मात्र होने से यातायात में बाधक/खतरनाक नहीं माना जायेगा।
8. नगर प्राचीर व दीवार, सार्वजनिक कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, राष्ट्रीय स्मारक, पुल आदि पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

16. मुक्तियां :–

(I) जनहित की दृष्टि से निम्न परस्थितियों में विज्ञापन प्रदर्शित करने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा जिसमें शासकीय व विभागीय चेतावनी चिन्ह, यातायात निर्देश, मार्ग सूचक चिन्ह/मानचित्र, किसी न्यायालय या सार्वजनिक अधिकारी जो अपने कर्तव्यों के पालन से कोई विज्ञापन पत्र/सूचना पत्र/अन्य विज्ञापन प्रदर्शित करे या प्रदर्शित करने का निर्देश दें। उदाहरणार्थ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि विक्रय सम्बन्धी विज्ञापन व पेट्रोल स्टेशनों पर पेट्रोल पम्प सम्बन्धी चिन्ह वृत्ताकार में 2–5X2–5 वर्ग फीट लगा सकेगा।

(ii) कोई व्यक्ति दुकान/व्यवसाय/भवन/दीवार/आवास पर अपना नाम/व्यवसाय का नाम प्रदर्श अंकित करता है, चित्रित करता है तो उसे सफेद/काला/लाल रंग में चित्रित/अंकित किया जावेगा किन्तु निर्धारित साईज 2X20 वर्ग फीट से अधिक बोर्ड लगाने/चित्रित करने पर नियमानुसार निर्धारित शुल्क देय होगा।

17. निम्नांकित हस्तविपत्र अथवा सूचनाएं निर्धारित स्थलो पर निःशुल्क चिपकाई जावेगी :–

1. वे समस्त सूचनाएँ जो नगर पालिकाओं से तथा राज्य सरकार से प्राप्त होगी।
2. वे समस्त सूचनाएँ जो विशुद्ध धार्मिक हो अथवा जनहित मे उचित प्रतीत होती हो अथवा जो उपविधि 16 (2 में अंकित है।

18. कोई भी व्यक्ति नगर निगम के सूचना पट्ट पर लगाये गये विज्ञापन व अन्य अनुज्ञापत्रित विज्ञापन अथवा दीवार पर लिखे या चित्रित किये गये विज्ञापन को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुचावेगा।

19. निगम के प्रत्येक क्षेत्रीय उपायुक्त/राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक का कर्तव्य होगा कि वे अपने क्षेत्र में इन उपविधि में से किसी भी उपविधि का उल्लघंन पाये जाने पर अनुज्ञापत्र प्राधिकारी को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करे एवं उपविधियों के अनुसार कार्यवाही करें।

20. इन उपनियमों के उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्ति का चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार आयुक्त अथवा उपायुक्त द्वारा अधिकृत प्राधिकारी को होगा।

21. इन उपनियमों के अन्तर्गत दिये गये किसी भी आदेश की अपील निगम को आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी। निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने का समय बाद दिया जावेगा। निगम इस उपनियम के अधिकार किसी कमेटी को भी दे सकेगा।

22. इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन प्रमाणित होने पर सक्षम न्यायाधीश द्वारा 10000/– रूपये तक का अर्थदण्ड दिया जा सकेगा और उल्लंघन जारी रहने तक 200/– रूपये प्रतिदिन अतिरिक्त दण्ड भी दिया जा सकेगा।

23. विद्युत पोलो पर बिना परमिशन के विज्ञापन प्रदर्शन करने पर प्रति पोल 2000/– रू. शास्ति जिस संस्था/व्यक्ति का विज्ञापन लगा हुआ है तथा विज्ञापन लगाने वाली एजेंसी/संस्था/व्यक्ति दोनो से वसूल किया जावेगा।

24. बिना सक्षम स्वीकृति के विद्युत पोलो के अतिरिक्त अन्य स्थानो पर अवैध विज्ञापन प्रदर्शन करने पर 50/– रू. प्रति वर्ग फिट शास्ति जिस संस्था/व्यक्ति का विज्ञापन लगा हुआ है तथा विज्ञापन लगाने वाली एजेंसी/ संस्था/व्यक्ति दोनो से वसूल किया जावेगा।

25. अर्थदण्ड की धनराशि न्यायालय में जमा हो जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (अधिनियम सख्या 18 सन् 2009) के अनुसार निगम कोष में भेजी जावेगी।

26. सरकार/न्यायालय के द्वारा प्रतिबन्धित विज्ञापन स्थलो के अतिरिक्त लाईसेन्स शुदा विज्ञापन बोर्ड को कोई अन्य विभाग नहीं हटा सकेगा।

27. कोई भी व्यक्ति, संस्था, विभाग, रेलवे, परिवहन विभाग, केन्द्रीय/राजकीय सरकारी/अर्द्धसकारीविभाग/ संस्थाऐं अपने भवनों पर नगर निगम सीमा क्षेत्र में विज्ञापन नहीं कर सकेंगे।

अपितु उपरोक्त विभागों/संस्थाओं द्वारा अपनी प्रिमिसेज में ऐसे विज्ञापन प्रदर्शन किए जा सकेंगे जो सार्वजनिक भवनों मार्गो/पुलिया/ मैदानों/पार्को या सार्वजनिक स्थानों से नहीं दिखते हो, मात्र उनके प्रिमिसेज के अंदर ही प्रदेर्श होते हो।''

इसका उल्लघन करने पर संबंधित विज्ञापन एजेन्सी से उस क्षेत्र की निकटतम साईट की ीलामी दर का 15 प्रतिशत या 40 रुपये प्रति वर्गफीट जो भी अधिक हो शुल्क की वसूली की जाएगी। अगर एजेन्सी/फर्म शुल्क जमा नही करवाती है तो निगम को विज्ञापन पट्ट जब्त करने का अधिकार होगा।

28. विज्ञापन से सम्बन्धित कोई वाद होने पर अपील नगर निगम बोर्ड/अपील समिति/अपराधों का शमन और समझौता समिति में की जा सकेगी तथा उसका निर्णय होने पर ही वह नगर निगम की उपविधियों के तहत आगे अपील कर सकेगा।

29. निरसन – इन उपविधियो के प्रवर्तन में आने के पश्चात् इन उपविधियों से सम्बन्धित सम्पूर्ण नियम, उपनियम, प्रस्ताव, विज्ञप्तियां एवं आदेश जो भी प्रचलित है, समग्ररूप से विखण्डित हो जावेगे। पूर्व में प्रचलित उपविधियो के अध्याधीन निस्तृत नियम उपनियम प्रस्ताव विज्ञप्तिया एवं आदेश इन उपविधियों के प्रावधानों में विपरीत न होने की सीमा तक असंगत नहीं समझे जायेंगे। इन उपविधियो के प्रवर्तन में आने

से पूर्व में उक्त नियमो उपनियमों, प्रस्ताव विज्ञप्तियो, आदेश के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उपविधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नही समझा जावेगा बशर्ते कि ऐसा कार्य इन उपविधियों के प्रावधानों के विपरीत न हो।

महापौर	आयुक्त
(घनश्याम गुर्जर)	(मनीष कुमार)
नगर निगम अलवर	नगर निगम अलवर